with all the recommendations of the Sarkar Committee relating to the Steel transactions; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI P. C. SETHI) : (a) The Government are taking necessary steps to institute disciplinary proceedings, in accordance with the relevant rules and regulations, against the Government servants concerned.

(b) and (c). The Central Vigilance Commission agreed with all the recommendations of the Sarkar Committee, relating to the transactions in which public servants were suspected or alleged to have acted for improper purposes, or in a corrupt manner. The Government there-after took their decisions, [contained in Ministry of Steel, Mines & Metals (Department of Iron & Steel) Resolution No. SCII-14(3)/68, dated 10th May, 1968], accepting the views of the Central Vigilance Commission.

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION

*38. SHRI H. N. MUKERJEE : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a number of industrial concerns failed to repay the loans advanced to them by the Industrial Finance Corporation;

(b) if so, the number of defaulting concerns and the outstanding amount due from them; and

(c) what steps have been taken to recover the dues from them?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विद्यार्थियों द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करना

*39. श्री शिव कुमार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाड़ियों में यात्रा करने वाले कालेज के विद्यार्थी प्रथम श्रेणी के डिब्बों में आ जाते हैं जब कि उनके पास उस श्रेणी के पास नहीं होते हैं और वे यात्रियों से अभद्र व्यवहार करते हैं और उनको असुविधा पहुंचाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि टिकट निरीक्षक उन विद्यार्थियों के डर के कारण उनके टिकटों की जांच नहीं करते; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). विद्यार्थियों द्वारा उचित टिकट के बिना पहले दर्जे में यात्रा करने और बाद में अभद्र व्यवहार करने के कुछ मामलों की कुछ रेलों ने रिपोर्ट की है।

(ग) विशेष रूप से बदनाम खण्डों पर जहां बिना टिकट यात्रा की घटनाएं होती हैं या जहां टिकट जांच करने वाले कर्मचारी खतरा समझते हैं, वहां बार-बार अचानक जांच की जाती है जिसमें टिकट जांच करने वाले पर्याप्त कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस की सहायता से मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच भी शामिल है।

राज्य सरकारों और पुलिस अधिकारियों से भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस तरह के खण्डों पर टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों की पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करें। शिक्षा संस्थाओं के प्रधानों से सहयोग देने की अपील की जाती है और शिक्षा संस्थाओं के परिसर में विद्यार्थियों को मासिक सीजन टिकट बेचने की व्यवस्था की जाती है। बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए चलाये जाने वाले अभियानों में विद्यार्थियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाता है।

EX-RAILWAY EMPLOYEE RUN OVER BY TRAIN

*40. SHRI SURAJ BHAN :
SHRI DHIRESWAR KALITA :
SHRI P. GOPALAN :
SHRI NAMBIAR :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :